(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

जी. संख्या 232 **नई दिल्ली** **27 नवबंर, 2009**

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वां) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के प्रचलित दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं.टीएएमपी/48/2005-जेएनओपीटी

आदेश

(अक्टूबर, 2009 के 23 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने दिनांक 28 सितंबर 2006 को अपने आदेश के द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के दरमान को 31 मार्च 2009 तक की वैधतावाली अवधि तक अधिसूचित किया गया था। जेएनपीटी के दरमान की वैधता को 31 अक्टूबर 2009 तक दिनांक 28 जुलाई 2009 को प्राधिकरण अपने आदेश के द्वारा विस्तारित किया था जिसे दिनांक 22 अगस्त 2009 के अधिसूचना संख्या जी-152 के द्वारा भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

2. जेएनपीटी के दिनांक 29 अक्तूबर 2008 और 24 दिसंबर 2008 के पत्रो के द्वारा दरमान की सामान्य संशोधन के लिए दाखिल प्रस्ताव को विचार-विमर्श के लिए रखा जा चुका है। दिनांक 18 सितंबर 2009 को निवेदीत अतिरिक्त सूचनाएँ / स्पष्टीकरण पत्तन के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है जो अभी सूक्ष्म परीक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत है।

3. चूँकि प्रचलित दरमान की वैधता 31 अक्टूबर 2009 को समाप्त होती है। मामला को अंतिम निर्णय देने मे लगनेवाले समय को ध्यान में रखते हुए यह प्राधिकरण प्रचलित दरमान की वैधता को 31 मार्च 2010 तक विस्तारित करता है या जेएनपीटी के प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव पर पारित आदेश की कार्यान्वयन के प्रभावी तिथि तक, इसमें से जो भी पहले हो।

4. यदि इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, 1 अप्रैल 2009 के बादवाली अवधि मे स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किये जानेवाले प्रशुल्क मे पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा